कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः— 1398 / FP/UK/ROAD/41149/2019 देहरादूनः दिनांकः 11 नवम्बर, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग—3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं0 1710/2015 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 5.6 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/41149/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 5.6 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग—I से भाग—III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग—IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,
10/11/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 1398/ FP/UK/ROAD/41149/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर—मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद—पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।

10/11/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं0 1710/2015 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 5.6 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/41149/2019)

जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं0 1710/2015 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 5.6 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 5.6 हे0 सिविल सोयम वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–पिथौरागढ/प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः
(D. J. K. Sharma)
APCCF & NODAL OFFICER (FC)
(UTTARAKHAND, DEHRADUN)

तिथि : 10/11/2020
स्थान : देहरादून